Annexure – II

आदेश क्रमांक 1986/20/1006/15-LG, [illegible]

// न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक [illegible]

छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा

प्रकरण क्रमांक 3/बी-113(1)/88-89

अध्यक्ष,

शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा ....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

कलेक्टर छिंदवाड़ा

आदेश

7/8/92

अध्यक्ष, शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा व्दारा एक आवेदन मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम 1951 (जिसेअत्र पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा -4 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । आवेदक ने अपने आवेदक पत्र मे यह व्यक्त किया है कि शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा (जिसे अत्र पश्चात् न्यास कहा गया है) शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा का उद्देश्य स्कूली छात्रो को जो गरीब है उन्हे छात्रवृति प्रदान करना गरीब व्यक्तियो के इलाज हेतु वित्तिय सहायता प्रदान करना, सस्कृत भाषा का प्रचार करना, अन्धो, बहरे, गूंगे, गरीब व्यक्तियो को सहायता, गरीब विधवाओ को सहायता प्रदान करना, शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा की स्थापना थाना छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा मे होगी । आवेदक व्दारा आवेदन का विधिवत् सत्यापन किया गया है । एवं नियमावली प्रस्तुत की गई । आवेदक ने शक्ति ट्रस्ट को न्यास के रुप मे पंजीयकरण करने की प्रार्थना की है ।

2- प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।

3- आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन के परिपेक्ष्य मे अधिनियम की धारा - 5(2)के अधीन लोक सूचना दिनांक 24/9/92 को जारी की गई तथा मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 30/10/92 को किया गया । लोक सूचना का प्रकाशन होने के उपरान्त निर्धारित अवधि मे उसके पश्चात् किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है ।

4- अधिनियम की धारा -5(1) के अन्तर्गत लोक न्यास का पंजीकृत किये जाने के पूर्व निम्न बिन्दुओ पर जांच की जाना है :-

(क) क्या शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा लोक न्यास है ।

(ख) क्या लोक न्यास की कोई सम्पत्ति है ।

(ग) [illegible]

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

123

(च) न्यास का उद्‌भाव प्रकृति क्या होगा ।

(छ) न्यास की वार्षिक आय तथा व्यय ।

(ज) आवेदक व्दारा अधिनियम की धारा (4)(3) के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन की सत्यता ।

5-प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा ट्रस्टियो को सुना गया ।

6-अधिनियम की धारा -5(1) के अधीन जांच करने के उपरान्त उपरोक्त वर्णित पैरा के सम्बन्ध मे मै निम्नानुसार निष्कर्ष पर पहुचता हूँ ।

(क) शक्ति ट्रस्ट ... का न्यास का मुख्य उद्देश्य जनता की तथा विद्यार्थियो को छात्रवृति प्रदाय करना है । अतः अधिनियम की धारा -2 (4) के अधीन शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा न्यास एक जनता की भलाई का न्यास है ।

(ख) -प्रकरण मे सलग्न अभिलेखो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा न्यास की अचल सम्पत्ति ग्राम छिन्दवाड़ा मे ब्लाक नम्बर 45नजूल प्लाट क्रमांक 2/1, 2/2, जुमला क्षेत्रफल 9,09799 वर्गफुट जमीन है ।

(ग) न्यास की अचल सम्पत्ति मेरे अधिकार क्षेत्र अर्थात तहसील व जिला छिन्दवाड़ा मे स्थित है ।

(घ) शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा ट्रस्ट के न्यासियो के नाम व पते अपने प्रतिवेदन के साथ दिये गये है जो निम्नानुसार है :-

1-रानी इन्दुमति विधवा राजा बहादुर लीलाधर सिंह निवासी छिन्दवाड़ा

2-कु0ज्ञानदा देवी पुत्री श्री राजबहादुर ,लीलाधरसिंहनिवासी छिन्दवाड़ा

3-श्रीमती लक्ष्मीबाई पति श्री व्ही0एम0 चितले अधिवक्ता तिलक नगर बिलासपुर ।

4- श्रीमती सुधा राजपूत पत्नी जी0एल0एस0 राजपूत सेवा निवृत जिलाध्यक्ष , सिविल लाईन नरसिंहपुर ।

5- श्रीमती रेणु वर्मा पत्नि डा0 प्रकाश चन्द्र वर्मा सिविल लाईन छिन्दवाड़ा ।

उपरोक्त न्यासियो के विरुद्ध कोई विपरीत अभ्युक्ति इस न्यायालय मे प्राप्त नही है । अतः आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10/3/89

-3-

कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा म.प्र.

7/6/19

अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाड़ा

195

के अनुसार न्यास के उपरोक्त वर्णित न्यासी होंगे ।

(ड़) - आवेदक व्दारा न्यास से सम्बन्ध में नियमावली प्रस्तुत की गई है । जो प्रदर्श पी-1. न्यास के कार्यकारिणी मंडल की संख्या -5 होगी आवेदक ने नियमावली में न्यासी मंडल संयोजक, एवं कार्यकारी समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चयन एवं उनकी चयन एवं चयन की प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख किया है । आवेदक व्दारा प्रस्तुत नियमावली प्रदर्श पी-1 को इस आदेश का ही एक अंग माना जाता है ।

(च) न्यास का उद्देश्य :- शक्ति ट्रस्ट का उद्देश्य जनता की सेवा एवं छात्रों को छात्रवृति का प्रदाय करने बाबत ।

(छ)-शक्ति ट्रस्ट की आय व्यय :- सदस्यों व्दारा प्राप्त दान राशि से ।

(ज) आवेदक व्दारा अधिनियम की धारा -4(3) के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । आवेदक व्दारा अपने आवेदन में जो तथ्य उठाये है । उससे यह स्पष्ट होता है कि इस न्यास का उद्देश्य जनता की सेवा करना एवं गरीब छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना है । चुकि आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आवेदक व्दारा अधिनियम की धारा -4(3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

7- उपरोक्त विवेचना से मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा अधिनियम की धारा -2(4) के अधीन लोक न्यास है जिसकी अचल सम्पति छिन्दवाड़ा स्थित ब्लाक नम्बर 45 नजूल प्लाट नम्बर2/1,2/2 क्षेत्रफल909799 वर्गफुट जमीन ~~[illegible]~~ है । चल सम्पति निरंक है ।

8- अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा को लोक न्यास मानते हुये इसका पंजीकरण किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

9- चुकि शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा लोक न्यास है । अतः अधिनियम की धारा-7 के अर्न्तगत यह आदेश दिये जाते है कि अधिनियम की धारा -35 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 3(1)(ब)(2) के अनुसार संधारित की जाने वाली पंजियां (प्रारूप)(1) व (11) के उपरोक्त की विधिवत प्रविष्टियाँ की जाए तथा इन प्रविष्टियों का प्रकाशन न्यायालय के सूचना फलक पर की जाए । इसके साथ ही साथ मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-9 के

प्रतिलिपि कलेक्टर छिंदवाड़ा

PSE 7/6/19
अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा

(19)

अन्तर्गत प्रारूप-।।। में इस आदेश की प्रविष्टि की जाए ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पक्षकार सूचित हो ।

आदेश की प्रति कलेक्टर, छिन्दवाड़ा तथा आवेदक को भेजी दी जाए ।

7/6/97

अनुविभागीय अधिकारी, /
पंजीयक लोक न्यास, छिन्दवाड़ा

पृष्ठांकन क्रमांक / ... /पु. अ.वि.अ./97, छिन्दवाड़ा दिनांक

प्रतिलिपि:

1- कलेक्टर, छिन्दवाड़ा को सूचनार्थ ।

2- अध्यक्ष, शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा को सूचनार्थ ।

7/6/97

अनुविभागीय अधिकारी,
पंजीयक लोक न्यास, छिन्दवाड़ा

कलेक्टर छिन्दवाड़ा म.प्र.

Principal
Sant Sri Asharamji Gurukul
Higher Secondary School Chhindwara (M.P.)
C.B.S.E. Aff. No. - 1030616

Director
Sant Sri Asharamji Gurukul
Sr.Sec. School Chhindwara (M.P.)

सत्यप्रतिलिपि
8/1/16
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिलाध्यक्ष कार्यालय छिन्दवाड़ा

(1) प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख 31.12.2015
(2) आवेदक को उपस्थित होने के लिये सूचना की तारीख ....
(3) आवेदक को उपस्थित होने की तारीख 2.1.2016
(4) सही जानकारी के अभाव ... न होने ... दिये जाने की तारीख ....
(5) प्रकरण के अभाव में ... / रद्द करने या प्रति नहीं देने की तिथि ....
(6) ... की जाने पर सही जानकारी देने की तारीख ....
(7) प्रतिलिपि तैयार होने की तारीख 2.1.2016
(8) प्रतिलिपि ... दी जाने की तारीख 2.1.2016
(9) वसूल की गई 30/-

प्रतिलिपिकार | मिलानकर्ता | मुख्य प्रतिलिपिकार
8/1/16
जिलाध्यक्ष कार्यालय छिन्दवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner